न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 26/2022 जिला सीकर

1. खुमाराम पुत्र किशनाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सांवलोदा पुरोहितान, तहसील धोद, जिला सीकर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार जी धोद, जिला—सीकर।
2. पटवारी हल्का सांवलोदा पुरोहितान, तहसील धोद, जिला सीकर।
3. भंवरलाल पुत्र हरजीराम
4. कानसिंह पुत्र हरजीराम
5. बजरंगलाल पुत्र हरजीराम

समस्त जाति जाट निवासी सांवलोदा पुरोहितान, तहसील धोद, जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी जी धोद जिला—सीकर दिनांक 27.10.2021

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री श्यामबाबू पारीक
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता
3. रेस्पोडेन्ट नं. 3 से 5 श्री हरलाल सिंह

निर्णय

दिनांक —06.06.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 27.10.2021 के खिलाफ खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 16.02.2022 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :—

तहसीलदार धोद, जिला सीकर ने ग्राम राजस्व ग्राम सांवलोदा पुरोहितान, पटवार मण्डल सांवलोदा पुरोहितान तहसील धोद जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 361, 362, 372, 425, 426, 423, 420, 419, 429, 430, 431, व 433 कुल किता 12 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी धोद को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप—6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार धोद के दिनांक 27.10.2021 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.10.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर दिनांक 27.10.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम रामनगर तहसील सीकर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 420, 423, 425, 426 किता 4 रकबा 1.53 है0 का अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीयान की भूमि में कभी कोई रास्ता नहीं रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने पटवार घर पर बैठे–बैठे ही पटवारी ने रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है जब कि गिरदावर, पटवारी या तहसीलदार जी मौके पर गये ही नहीं न मौके का कोई नोटिस ही दिया गया है ऐसी स्थिति में भी निर्णय निरस्तनीय है। विवादित भूमि में प्रार्थीयान की फसल खडी है। एवं कभी कोई रास्ता न है न कभी कोई सार्वजनिक रास्ता रहा है। नक्शे में विवादित भूमि खसरा नम्बर 420, 423, 426 व 425 के उत्तरी और केवल मात्र सिंगल डोटेड लाईन से दर्शाया है जिसका अर्थ है कि यह अस्थाई रास्ता है पगडन्डी जो फसल न हो तो तभी उपयोग उपभोग की है। उसे कभी भी सार्वजनिक नहीं माना जा सकता न सार्वजनिक मानने को कोई नियम कानून है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर कोई विचार न कर निर्णय देने में सरासर कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में भी निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2021 को निरस्त किया जावे ।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि राजस्व ग्राम सांवलोदा पुरोहितान, पटवार मण्डल सांवलोदा पुरोहितान तहसील धोद जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 361, 362, 372, 425, 426, 423, 420, 419, 429, 430, 431, व 433 कुल किता 12 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी धोद को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार धोद के पत्र दिनांक 27.10.2021 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये। उक्त रास्तें में 12 खाते हैं। जिसमें से सिर्फ खसरा नम्बर 420, 423, 425, 426 किता 4 रकबा 1.53 है0 को ही आपत्ति है। शेष किसी भी खातेदार ने कोई अपील नहीं की है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 27.10.2021 के तहत फसल रास्ता, पूर्व से ही मौके पर विद्यमान था। रास्ता के ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए तथा ग्राम पंचायत सांवलोदा पुरोहितान के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत रास्ता को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी के खेत नं. 423, 424, 425, 426 में जिस खसरा से रास्ता फैसल हुआ है, उसमें रास्ता के रकवा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरनीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है, आम रास्ता है, शिविरों के दौरान ऐसे प्रकरणों में शासन द्वारा नोटिस जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है जो

छविरिष्ठ संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार धोद के प्रस्ताव दिनांक 27.10.2021 के अनुसार राजस्व ग्राम सांवलोदा पुरोहितान, पटवार मण्डल सांवलोदा पुरोहितान तहसील धोद जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 361, 362, 372, 425, 426, 423, 420, 419, 429, 430, 431, व 433 कुल किता 12 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी धोद को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार धोद के पत्र दिनांक 27.10.2021 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा निर्णय दिनांक 27.10.2021 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए तथा ग्राम पंचायत सांवलोदा पुरोहितान के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत रास्ता को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी के खेत नं. 423, 424, 425, 426 में जिस खसरा से रास्ता फैसल हुआ है, उसमें रास्ता के रकबा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 27.10.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner